न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 566/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
नरपत सिह पुत्र लछमीनारायण जाति माली (सोलंकी) निवासी सुरसागर जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर 2– ग्राम पंचायत बागा जरिये सरपंच तहसील जोधपुर 3– पटवारी हल्का बागा तहसील जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16–8–2016 जो अपर जिला कलेक्टर द्वितीय, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 20/2016 अनवान नरपत सिह बनाम राजस्थान सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भंवर सिह गौड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 31–1–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागा तहसील जोधपुर स्थित खसरा नंबर 81, 82, 221 व 806 की कुल 46,06 बीघा कृषि भूमि के खातेदार मोहनलाल पुत्र पुसाराम जाति माली ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के घासीराम पुत्र पनजी माली से दिनांक 6–10–59 को खरीद की थी तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परंतु तत्कालीन पटवारी हल्का ने उक्त बेचान पत्र के अनुसार क्रेता के नाम खसरा नंबर 81, 82 व 221 की भूमि का ही म्युटेशन दर्ज करते हुए तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बागा के समक्ष पेश किया, जो म्युटेशन संख्या 27 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया जबकि बेचान दस्तावेज मे खसरा नंबर 81, 82 व 221 के साथ खसरा नंबर 806 अंकित होते हुए खसरा नंबर 806 की जमीन का इन्द्राज नही किया गया ।

तत्पश्चात उपरोक्त खरीदसुदा आराजी को खातेदार मोहनलाल पुत्र फुसाराम माली द्वारा दिनांक 18–5–63 को लिछमीनारायण पुत्री गीगाजी माली को बेचान कर दी तथा उनके पक्ष मे बेचाननामा निष्पादित कर उसे उप पंजियन कार्यालय से पंजीबद्ध करवाया तथा मौके पर बेचान की गई भूमि का कब्जा क्रेता को मौके पर सुपुर्द कर दिया तथा उक्त बेचाननामे के अनुसार खसरा नंबर 81, 82, 221 व 806 की कुल 46,06 बीघा भूमि म्युटेशन संख्या 65 मे दर्ज की जानी चाहिये थी उसके स्थान पर खसरा नंबर 81, 82, 221 ही दर्ज किया जाकर म्युटेशन संख्या 65 दिनांक 23–6–1967 को स्वीकृत किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निर्णय गुणावगुण पर नही कर

केवल मयाद बिन्दु पर ही खारीज कर दी जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 18–5–63 मे उक्त चार खसरा नंबरान 81, 82, 221 व 806 की सम्पूर्ण भूमि के बेचान का उल्लेख होते हुए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 65 जो उक्त बेचान दिनांक 18–5–63 के आधार पर स्वीकृत किया गया है, उक्त म्युटेशन मे बेचाननामे मे उल्लेखित खसरा नंबरान 81, 82, 221 व 806 की कुल 46,06 बीघा भूमि के स्थान पर खसरा नंबर 81, 82 व 83 की 42बीघा 06 बिस्वा का ही म्युटेशन दर्ज कर स्वीकृत कर दिया, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध बेचान दस्तोवज से प्रकट होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद बाहर होना मानते हुए खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर ने अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व म्युटेशन प्रकिया के नियम 135 से 148 तक की पालना किये बिना रेकर्ड को अन देखा करते हुए म्युटेशन संख्या 65 स्वीकृत करने मे विधिक भूल की है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के पिता अनपढ काश्तकार व्यक्ति थे जो कानून कायदे नही समझते थे जिनका अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी नही हुई तथा अपीलांट को जैसे ही अपने पक्ष मे बेचान के आधार पर गलत दर्ज हुए म्युटेशन की जानकारी हुई तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी पक्षकार को केवल मयाद के बिन्दु पर न्याय से वंचित नही किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–8–2016 तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा म्युटेशन संख्या 65 पर पारित आदेश दिनांक 23–6–1967 को निरस्त कर अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र मे उल्लेख अनुसार खसरा नंबर 81, 82, 221 व 806 कुल रकबा 46 बीघा 06 बिस्वा भूमि का म्युटेशन स्वीकृत करने तथा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन वर्ष 1967

मे स्वीकृत हुआ था जिसके लगभग 49 वर्ष के लंबे अंतराल तक अपीलांट ने कोई कार्यवाही क्यो नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इतने असाधारण विलंब से प्रस्तुत अपील पर जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन की पुश्त पर पक्षकारो द्वारा क्रय, विक्रय एवं कब्जे सुपुर्दगी एवं प्राप्ति संबंधी उल्लेख किया हुआ है तथा उन पर संबंधित पक्षकारो के हस्ताक्षर भी है इसलिए यह नही माना जा सकता कि अपीलांट के पिता को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी न हो । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेज (बेचाननामो), अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 65 आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 65 ग्राम बागा जो कि बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18–5–1963 के आधार पर भरा जाकर पटवारी हल्का ने प्रस्तुत किया जिस पर निरीक्षक (भू.अ.) जोधपुर की जांच के पश्चात उक्त म्युटेशन को तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 23–6–67 को स्वीकृत किया था, उक्त म्युटेशन स्वीकृति के लगभग 46 वर्षो के लंबे अंतराल तक अपीलांट के पिता लछमीनारायण ने कोई आपत्ति क्यो नही की तथा 46 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय मे वर्ष 2013 मे अपने पक्ष मे बेचान दस्तावेज के आधार पर प्रथम अपील पेश कर खसरा नबर 806 की उसके पिता की खरीदसुदा भूमि अपने पक्ष मे दर्ज करवाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–8–2016 मे यह उल्लेख किया है कि वर्ष 1967 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध वर्ष 2013 मे अपील पेश करने बाबत अपीलांट ने कोई ठोस आधार, दस्तावेज एवं तथ्य प्रस्तुत नही किये से अपीलांट की अपील को खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य प्रतीत होता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 65 ग्राम बागा के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 6 मे कुल 3 खसरान क्रमशः 81, 82 एवं 221 की कुल 42,06 बीघा भूमि का ही उल्लेख है जबकि अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 18–5–63 को निष्पादित बेचान दस्तावेज मे खसरा नंबर 806 की भूमि को सम्मलित करते हुए कुल 46.12 बीघा भूमि के बेचान होने का उल्लेख किया हुआ है तथा अपीलांट उक्त खसरा नंबर 806 की भूमि को इतने लंबे अंतराल के बाद अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है तो इसके लिए अपीलांट अपने अधिकारो की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय मे पेश कर ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकते है, म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये इतने लंबे अंतराल के बाद ऐसे इन्द्राज बिना किसी ठोस एवं पुख्ता दस्तावेज के एवं साक्ष्यो के अभाव मे किया जाना संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर

द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–8–2016 तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 65 ग्राम बागा का यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31–1–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर